106

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1243–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश, दिनाक 12–4–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बासोदा के प्रकरण कमांक 58/2011–12/अपील माल.

वंशी आयु 57 साल पुत्र मिट्टू जाति चमार
निवासी ग्राम रोजरू तहसील गंजबासोदा जिला विदिशा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमति राजबाई बेवा रति जाति रावत
निवासी ग्राम खरपरी तहसील बासोदा जिला विदिशा म0 प्र0

–अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक एकपक्षीय .

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा द्वारा प्रकरण कमांक 58/2011–12/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 12–4–2012 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अम्बानगर तहसील बासोदा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 450/1 रकबा 0.815 के संबंध में विचारण न्यायालय के

समक्ष गैर निगरानीकर्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि गैरनिगरानीकर्ता को पट्टे पर प्रदान की गयी थी । गैरनिगरानीकर्ता को पट्टे पर प्राप्त भूमि पर निगरानीकर्ता द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है । अतः निगरानीकर्ता से गैरनिगरानीकर्ता को प्रश्नाधीन भूमि पर से कब्जा वापिस दिलाया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 03/11–12/अ–70 पर प्रविष्टि करते हुये आदेशित किया गया कि सात दिवस के अन्दर प्रश्नाधीन भूमि पर से अपना कब्जा हटालें एवं गैरनिगरानीकर्ता को कब्जा सौंप कर न्यायालय को सूचित करें । अन्यथा आपके विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 (ख) के तहत कार्यवाही की जावेगी । विचारण न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 6–1–2012 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा द्वारा प्रकरण कमांक 58/2011–12/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 12–4–2012 से प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त की गयी कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है, जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील नहीं होगी बल्कि धारा 50 के अंतर्गत निगरानी सक्षम न्यायालय में करना चाहिये । अनुविभागीय अधिकारी बासोदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–4–2012 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका का परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क है कि निगरानीकर्ता को प्रश्नाधीन भूमि माननीय न्यायालय सिविल जज वर्ग–1 बासोदा द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांक 19–6–85 बंशीबाई विरूद्ध अन्तीबाई के नाम से प्राप्त हुई । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि गैरनिगरानीकर्ता के पति रति के

पिता को शासकीय पट्टे पर प्राप्त हुई थी, जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा बलात कब्जा किया गया है । उसी बलात कब्जे को हटाये जाने बाबत गैरनिगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये निगरानीकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 6–1–2012 जारी करते हुये सात दिवस के अन्दर निगरानीकर्ता का जबाब चाहा गया था । निगरानीकर्ता को अपना जबाब विचारण न्यायालय में ही प्रस्तुत करना चाहिये था और जो तथ्य इस न्यायालय में निगरानी मेमों में उठाये गये हैं, उन्हें विचारण न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये जा सकते थे । विचारण न्यायालय द्वारा उन पर विचार करते हुये तथा गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत पक्ष समर्थन के आधार पर उचित आदेश पारित किया जाता किन्तु सूचना पत्र के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्ग अपील अनुविभागीय अधिकारी बासोदा के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी है । इस न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा अपना पक्ष रखे जाने में असफल रहा है । विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता को अपना पक्ष रखे जाने का पूर्ण अवसर प्राप्त है । अतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर